रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एम.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 373] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 12, 1986/भाद्र 21, 1908
No. 373] NEW DELHI, FRIDAY, SEPT. 12, 1986/BHADRA 21, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 1986

अधिसूचना

का. आ. 673(अ):—केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार, भारत का सामुद्रिक क्षेत्र (विदेशी जलयान मत्स्यन विनियम) अधिनियम, 1981 (1981 का 42) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 560(अ) तारीख 5 अगस्त, 1983 की उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, अंदमान और निकोबार द्वीप संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के पुलिस उप अधीक्षक के रैंक या उससे ऊपर के रैंक के पुलिस अधिकारियों को

उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन सभी शक्तियों का प्रयोग, यह सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उक्त अधिनियम की अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है या नहीं और उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए भी प्राधिकृत करती है।

[सं. 29012/8/82-एफवाई (टी-1)]
बी. सी. शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT

(Department of Agriculture & Cooperation)

New Delhi, the 12th September, 1986

NOTIFICATION

S.O. 673(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Maritime Zones of India (Regulation of Fishing by Foreign Vessels) Act, 1981 (42 of 1981), hereinafter referred to as the said Act, and all other powers enabling in this behalf and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Cooperation) No. S. O. 560 (E), dated the 5th August, 1983, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby authorises the police officers of and above the rank of Deputy Superintendent of Police of the Union Territory Administration of the Andaman and Nicobar Islands to exercise all powers under sub-section (1) of section 9 of the said Act for the purpose of ascertaining whether or not the requirements of the said Act have been complied with and also to exercise the powers of authorised officer under sub-section (1) of section 19 of the said Act.

[No. 29012/8/82-Fy(T-1)]
B. C. SARMA, Jt Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986